न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 64/2020 तारीख रजू 19.02.2020

रामजीलाल पुत्र भोरया जाति नाथ निवासी वीरपुर तह0खण्डार। ––– अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ । –––– रेस्पो0

निर्णय दिनांक 12/3/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ द्वारा मिसल संख्या 234/2020 मे पारित आदेश दिनांक 30.09.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम पावण्डी के आराजी खसरा नम्बर 489 रकबा 4.00 बीघा किस्म गै0मु0 चरागाह पर संवत 2076 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 30 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि खसरा नम्बर 489 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम वीरपुर पर अपीलान्ट ने कब्जा कर फसल काश्त नहीं की है, ना ही अपना हित कायम किया है बल्कि अपीलान्ट के समाज के पूर्वजो की समाधि स्थल बने है,उक्त खसरा नम्बर में बजरंग बली मंदिर व भैरूजी का मंदिर बना है जिसकी देखभाल अपीलान्ट द्वारा की जाती रही है, कोई व्यक्ति मंदिर/समाधि को नुकसान पहुॅचाने बल्कि अपीलान्ट ने आज तक किसी प्रकार की काश्त या फसल पैदा नहीं की गयी है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात का ध्यान नहीं दिया कि खसरा नम्बर 489 रकबा 4 बीघा गैर मु0 चरागाह में जमावडा शुरू करने के लिए व देवस्थान गोधा सोन्दर्य के लिए हजारो की संख्या में पेड पौधे लगा रखे है, जिनकी रखवाली एवं मंदिर समाधि की देखभाल अपीलान्ट करता है जो कि समाज की सेवा का कार्य है ना कि अतिक्रमण। यह भी निवेदन किया है कि पाश्चतवर्ती के सम्बन्ध

अति॰ जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 13:55:07 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता । अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी ही नहीं किया गया बिना नोटिस दिये अपीलान्ट को पाश्चतवर्ती अतिचारी मानकर सजा के दण्ड से दण्डित किया गया आदेश न्याय की श्रेणी में नहीं आता है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में सलंग्न नहीं होने के कथन से मै सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2020 में बेदखली,शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 30 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12/3/2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्फतर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 13:55:07 IST
Reason: SelfAttested